

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)  
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

दॉ.अपील क.-43/16

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-03/02/16

1. सुरेन्द्र सिंह आयु 38 वर्ष
  2. मेघसिंह आयु 57 वर्ष
  3. नरोत्तम सिंह आयु 37 वर्ष पुत्रगण राजाराम गोले
  4. बदनसिंह पुत्र वंशी गोले आयु 64 वर्ष
  5. राघवेन्द्र उर्फ कल्ली पुत्र होतम सिंह आयु 30 वर्ष
- समस्त जाति गोले निवासीगण ग्राम हनुमन्तपुरा  
थाना व परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण

वि रु द्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड  
(म.प्र.)

.....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।  
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री के.के.शुक्ला अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 22/08/2017 को घोषित किया गया)

1. यह अपील धारा-374(3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुश्री प्रतिष्ठा अवरस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 149/2011 उनवान म0प्र0 राज्य बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय दिनांक 06.01.16 में अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त कल्ली उर्फ राघवेन्द्र को धारा-324 तथा शेष अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा-324 सहपठित 34 के तहत छः-छः माह के कठिन कारावास एवं 500-500/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा सभी अपीलार्थीगण को धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा0दं0सं0 के तहत जंडेल सिंह की चोटों के लिए एवं राजाराम की चोटों के लिए क्रमशः तीन-तीन माह के कठिन कारावास एवं 250-250/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर क्रमशः एक माह, पंद्रह दिवस एवं पंद्रह

दिवस के अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने के दण्डादेश से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से दिनांक 27.02.11 को सुबह 08:00 बजे के लगभग ग्राम हनुमन्तपुरा में फरियादी भगवान सिंह ने उसकी जमीन पर बदन सिंह को लकड़ी रखने एवं कब्जा करने से रोका, जिस पर से कल्ली ने भगवान सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारी जिससे उसे सिर में चोट आई और खून निकल आया। उसके बाद बदन सिंह आया और उसने भगवान सिंह के दाहिने हाथ में लाठी मारी जिससे मुंदी चोट आई। उसके बाद नरोत्तम सिंह ने भगवान सिंह के बाएं हाथ की छिंगुली वाली उंगली में लाठी मारी जिससे चोट आई। फरियादी भगवान सिंह का पिता जंडेल सिंह उसे बचाने आया तो अभियुक्त सुरेन्द्र भी आ गया और बरछी का हूदा मारा जो जंडेल सिंह के दाहिनी भौंह के ऊपर लगकर चोट आई। भगवानसिंह के बाबा राजाराम बचाने आए तो मेघसिंह आ गया और उसने राजाराम के बाएं पैर में टखने में लाठी मारी जिससे उन्हें चोट आई। उक्त घटना की रिपोर्ट भगवान सिंह के द्वारा प्र0पी0-04 के अदम चैक के रूप में थाना गोहद में लिखाई गई। आहतगण को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिनकी रिपोर्ट प्र0पी0-01 लगायत 03 है। भगवान सिंह के सिर में धारदार हथियार से चोट आने पर धारा-324 भा0द0सं0 का इजाफा करते हुए अपराध क्रमांक 38/11 अंतर्गत धारा-324, 323, 504 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत दिनांक 04.03.11 को कायमी की गई।
3. दौराने अनुसंधान दिनांक 04.03.11 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 05.03.11 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-05 बनाया गया। आहत जंडेल सिंह, राजाराम के कथन लिए गए तथा साक्षी पप्पू उर्फ पुलंदर तथा होतमसिंह के कथन लिए गए। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण पर भा0द0सं0 की धारा-324/34, 323/34 एवं 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा-294 भा0द0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया। परंतु भा0द0सं की धारा-324, 324/34 एवं 323/34 (दो शीर्ष) के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत आदेश से दण्डित किया गया। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
5. अपीलार्थीगण की ओर से अपील में एवं तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई मौखिक साक्ष्य की सही विवेचना न करते हुए दण्डादेश पारित करने में गंभीर भूल की है। यदि फरियादी एवं आहतगण को गंभीर चोटें होती तो पुलिस थाना गोहद द्वारा घटना के दिन ही अदम चैक की अपेक्षा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई होती न कि घटना के आठ दिवस पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी के

साक्षी कमलसिंह तोमर तथा आरक्षक सोपत सिंह का कोई कथन चालान में संलग्न नहीं किया है। फरियादी भगवान सिंह का धारा-161 दंडप्र0सं0 का कथन 38 दिन बाद लेख किया है। चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि आहतगण को आई चोटें किसी पथरीली जगह पर गिरने से आना संभव है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा चोटों के संबंध में कोई भी वस्तु या हथियार उनकी राय जानने के लिए नहीं भेजे गए थे। जंडेल सिंह अ0सा0-02 ने यह बात स्वीकार की है कि वे मकान का डण्डा आगे बढ़ा रहे थे और लड़का भगवान सिंह उक्त जगह में जबरदस्ती बनाना चाह रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण की रिपोर्ट पर से उनके विरुद्ध मुकद्मा चल रहा है। जंडेल सिंह अ0सा0-02 ने फरियादी का अस्पताल में होश में आना बताया है तथा थाने पर बेहोश अवस्था में होना बताया है, जबकि फरियादी भगवान सिंह अ0सा0-03 ने पैरा-02 में घर पर ही होश आना बताया है और यह भी बताया है कि झगड़े के समय जंडेल व राजाराम उपस्थित नहीं थे और यह भी बताया है कि नक्शामौका प्र0पी0-05 पर बिना पढ़े पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। फरियादी बार-बार अपने बयान बदल-बदल कर दे रहा है। जंडेल सिंह अ0सा0-02 और भगवान सिंह अ0सा0-03 के कथन में भारी अंतर होने से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दोनों साक्षी पिता पुत्र होकर हितबद्ध साक्षी हैं अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित चक्षुदर्शियों का परीक्षण नहीं कराया है। अपीलार्थीगण से किसी प्रकार की कोई वस्तु या हथियार जप्त नहीं हुआ है। इन सभी तथ्यों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि उक्त समस्त विसंगतियों से मामला संदेहास्पद हो जाता है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 06.01.16 को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखने का निवेदन किया है।

7. अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:-

क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि व दण्डादेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा-22, 24, 28, 31, 32, 33, 34 एवं 35 में यह मान्य किया है कि भगवान सिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है। न्यायालय में जंडेल सिंह अ0सा0-02 के द्वारा यह बताया जाना कि

मेघसिंह ने उसे बरछी मारी थी तथा पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0-04 में बरछी का हूदा मारने के तथ्य की विसंगति तात्विक नहीं है कि जिससे अभियोजन घटना को अविश्वसनीय माना जाए। रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष की मारपीट की जा सकती है, यह मानते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कल्ली उर्फ राघवेन्द्र द्वारा फरियादी भगवान सिंह की कुल्हाड़ी से तथा शेष अभियुक्तगण के द्वारा भगवान सिंह, जंडेल सिंह एवं राजाराम की लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करना प्रमाणित होना मानने का निष्कर्ष दिया है। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष एवं अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए आधारों को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार किया गया।

9. भगवान सिंह अ0सा0-03 ने यह अपने घर की दीवार के सामने की जगह स्वयं की बताते हुए उस पर अभियुक्तगण द्वारा झकरा अर्थात् लकड़ी आदि रखना तथा मना करने पर राघवेन्द्र के द्वारा कुल्हाड़ी मारना तथा सिर में चोट आना बताया है। यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे लाठियां मारी थी और गांव के लोगों ने बीच बचाव किया था। यह भी बताया है कि उसके पिता जंडेल सिंह बचाने आए तो उन्हें मेघसिंह ने बरछी मारी थी, जो उनकी भौंह में लगी थी, राजाराम के पैर में लाठियां लगी थी, उसने थाना गोहद में घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-04 लिखाई थी तथा पुलिस ने प्र0पी0-05 का नक्शा मौका बनाया था। उसकी इस साक्ष्य की पुष्टि करते हुए जंडेलसिंह अ0सा0-02 ने भी भगवान सिंह को राघवेन्द्र के द्वारा कुल्हाड़ी मारना, मेघसिंह द्वारा जंडेल सिंह को बरछी मारना, मेघसिंह द्वारा राजाराम को लाठी मारना और सुरेन्द्र तथा नरोत्तम के द्वारा उसके पिता अर्थात् राजाराम की मारपीट करना बताया है। इस प्रकार दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा भगवानसिंह, जंडेलसिंह एवं राजाराम की मारपीट करना बताया है। प्रमुख रूप से कल्ली उर्फ राघवेन्द्र द्वारा भगवान सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारना बताया है।

10. डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0-01 ने मेडीकल परीक्षण करते समय भगवानसिंह के सिर में 5x0.2 सेमी० का कटा हुआ घाव, दाएं हाथ में पीछे की तरफ 4x1 सेमी० की नील का निशान, बाएं हाथ की छोटी उंगली में 0.5x0.3 सेमी० का नील का निशान होना पाया है। सबसे प्रथम चोट अर्थात् सिर की चोट को धारदार वस्तु से तथा शेष दोनों चोटों को कड़ी एवं मौहथरी वस्तु से आना बताया है। भगवानसिंह के संबंध में उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-01 है। इसी प्रकार राजाराम के बाएं हाथ में 1x0.5 सेमी० का छिले का घाव एवं बाईं कोहनी पर 1x0.5 सेमी० का छिले का घाव होना पाया है। जंडेल सिंह के दाईं भौंह पर 0.8x0.3 सेमी० का छिले का घाव होना पाया है। भगवानसिंह की प्रथम चोट को छोड़कर तीनों आहतगण की सभी चोटों को सख्त एवं मौहथरी वस्तु से आना तथा 12 घंटे के भीतर की होना तथा साधारण प्रकृति की होना बताया है। राजाराम की मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी0-02 तथा जंडेल सिंह की मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी0-03 होना बताया है।



**11.** इस प्रकरण जंडेल सिंह अ0सा0-02 एवं भगवान सिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भली भांति हो रही है। कुल्हाड़ी मारने की चोट भगवान सिंह के सिर पर पाई गई है और मारपीट की चोटें भगवान सिंह, जंडेल सिंह एवं राजाराम के शरीर पर पाई गई हैं। भगवान सिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि अदम चैक प्र0पी0-04 से भली भांति हो रही है, घटना सुबह 08:00 बजे की है और रिपोर्ट दोपहर 12:30 बजे लिखा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा-22 में दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत होना प्रकट होता है कि भगवानसिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय रिपोर्ट से हो रही है। ऐसी स्थिति में भगवान सिंह अ0सा0-03 की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

**12.** जंडेल सिंह अ0सा0-02 एवं भगवान सिंह अ0सा0-03 ने मेघ सिंह द्वारा जंडेल सिंह को बरछी मारना बताया है वहीं प्र0पी0-04 की रिपोर्ट में बरछी का हूदा मारने के तथ्य है ऐसी स्थिति में यह कोई भारी विरोधाभास नहीं है कि जिससे साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के पैरा-24 में दिया गया निष्कर्ष भी विधिसम्मत है।

**13.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात् कायमी आठ दिवस पश्चात हुई है परंतु प्र0पी0-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि तत्समय ही रिपोर्ट लिखा दी गई है और मेडीकल रिपोर्ट के पश्चात कायमी की गई है और उक्त प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से उचित होना प्रकट होती है कि बिना मेडीकल रिपोर्ट के 324 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है।

**14.** अपीलार्थीगण की ओर से डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-01 को यह सुझाव दिया गया है कि तीनों आहतों को आई चोटें किसी पथरीली सतह पर गिरने से आना संभव है परंतु बचाव पक्ष की ओर से जंडेल सिंह अ0सा0-02 एवं भगवान सिंह अ0सा0-03 के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि चोटें गिरने से आई हैं और न ही इस संबंध में बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है। वहां इस उपधारणा को मान्य नहीं किया जा सकता है कि चोटें गिरने से आई हैं। वैसे भी तीन-तीन लोगों को एक साथ गिर कर चोटें आने की संभावना लगभग न्यून होती है। यह तभी हो सकता है जब कोई एक्सीडेंट हुआ हो। अतः ऐसी स्थिति में चिकित्सीय साक्ष्य एवं अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

**15.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि जंडेल सिंह अ0सा0-02 ने फरियादी को अस्पताल में होश आना बताया है तथा थाने में बेहोश अवस्था में होना बताया है। भगवान सिंह अ0सा0-03 ने यह बताया है कि घर पर होश आया था। यह तथ्य मामूली भिन्नताएं हैं और महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है कि जिसके आधार पर अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए। जहां

तक कि गिरफ्तारी के साक्षियों के कथन न होने का प्रश्न है, गिरफ्तारी के साक्षियों के कथन होना भी आवश्यक नहीं है जब तक कि वह चक्षुदर्शी न हो या घटना के साक्षी न हो।

**16.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि फरियादी भगवानसिंह का धारा-161 दं0प्र0सं0 का कथन 38 दिन के बाद लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बचावपक्ष की ओर से साक्षियों के धारा-161 दं0प्र0सं0 के कथनों के संबंध में आधार अवश्य लिए जा रहे हैं, परंतु किसी भी साक्षी का धारा-161 दं0प्र0सं0 का कथन प्रदर्शित ही नहीं कराया है और न ही साक्षी से उसमें विरोधाभास, लोप या सुधार आदि के बारे में पूछा गया है। तब ऐसी स्थिति में इस आधार का लाभ अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं होता है और वैसे भी धारा-161 दं0प्र0सं0 के कथन असल साक्ष्य नहीं हैं। असल साक्ष्य वही है जो साक्षी न्यायालय में आकर कहता है।

**17.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि अपीलार्थीगण की रिपोर्ट से जंडेल सिंह आदि के विरुद्ध मुकद्मा चल रहा है तथा फरियादी पक्ष ही जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, इस कारण झूठा फंसाया गया है। स्पष्ट है कि साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष के मध्य जमीन का विवाद होना प्रकट है और उक्त जमीन फरियादी एवं अभियुक्तगण के मकान से लगी हुई अर्थात् उनके सामने ही है। तब इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उक्त विवाद पर से ही अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष की मारपीट कर दी गई क्योंकि अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है और चिकित्सीय साक्ष्य पर भी किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं किया जा सकता, तब यह प्रकट है कि उक्त रंजिश एवं विवाद के कारण ही अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की गई है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा-28 में दिया गया निष्कर्ष विधि सम्मत होना प्रकट होता है कि रंजिश के कारण ही अभियुक्तगण द्वारा फरियादी पक्ष की मारपीट भी की जा सकती है, इस कारण मात्र रंजिश के आधार पर अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**18.** अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि साक्षी हितबद्ध साक्षी है, स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि भगवान सिंह अ0सा0-03 एवं जंडेल सिंह अ0सा0-02 यद्यपि आपस में पुत्र एवं पिता हैं। परंतु वह आहतगण भी हैं और सामान्य और स्वाभाविक है कि आहतगण ही प्रकरण में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उनकी साक्ष्य बिना किसी स्वतंत्र साक्षी के समर्थन के विश्वसनीय भी है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि हितबद्ध होने से उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाती है। वास्तव में हितबद्ध साक्षी वह होता है जो किसी न किसी कारण से अभियुक्तगण को फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, परंतु यहां पर दोनों साक्षी स्वयं ही आहत हैं, तब उनसे अच्छी साक्ष्य कोई भी नहीं दे सकता है और उनकी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य है क्योंकि उनकी मारपीट हुई है और वैसे भी यदि आहतगण अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ? ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि साक्षीगण

हितबद्ध है।

**19.** जहां तक कि हथियार जप्त न होने का प्रश्न है, हथियार जप्त न होने का कोई प्रभाव मामले पर नहीं है क्योंकि साक्षियों ने प्रत्यक्ष रूप से यह बताया है कि कुल्हाड़ी एवं लाठियों से उनकी मारपीट की गई है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी उसकी पुष्टि हो रही है। भगवान सिंह अ0सा0-03 एवं जंडेल सिंह अ0सा0-02 की साक्ष्य में भी ऐसे कोई भारी विरोधाभास नहीं हैं कि जिससे उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाए। जहां तक कि सामान्य आशय का प्रश्न है पांचों अभियुक्तगण ने उसी स्थल पर उपस्थित होकर एक राय होकर एक साथ आहतगण की मारपीट की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट कर तीनों आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय भी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के पैरा-31, 32 एवं 33 में दिया गया यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी भगवान सिंह, जंडेल सिंह तथा राजाराम को स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

**20.** अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि अभियुक्त कल्ली उर्फ राघवेंद्र द्वारा कुल्हाड़ी तथा शेष अभियुक्तगण के द्वारा लाठियों व बरछी से सुसज्जित होकर भगवानसिंह, जंडेल सिंह एवं राजाराम को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण कल्ली उर्फ राघवेंद्र ने कुल्हाड़ी से भगवान सिंह के सिर में वार कर तथा शेष अभियुक्तगण ने लाठी एवं बरछी के हुदे से भगवान सिंह, जंडेल सिंह एवं राजाराम की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

**21.** इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसरण में कुल्हाड़ी एवं बरछी के हुदे तथा लाठियों से भगवान सिंह, जंडेल सिंह एवं राजाराम की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। उक्त दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है।

**22.** अपीलार्थीगण/बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण को परीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। इस मामले में पांच अभियुक्तगण के द्वारा तीन लोगों की कुल्हाड़ी, लाठी एवं बरछी के हुदे से सुसज्जित होकर मारपीट की गई है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्तगण को परीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**23.** जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को सुना गया। घटना दिनांक 27.02.11 की है अर्थात् घटना को छः वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अभियुक्तगण ने विचारण न्यायालय में इस प्रकरण का सामना किया है तथा विचारण में सहयोग किया है। अभियुक्त मेघसिंह की आयु 57 वर्ष तथा बदन सिंह की आयु



लगभग 64 वर्ष है। अपराध उभयपक्ष के घर से लगी हुई जमीन के विवाद पर से है। उभयपक्ष ग्रामीण परिवेश के निवासी है। पूर्व की दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं लाई गई है। कुल्हाड़ी की चोट की गहराई केवल 0.2 सेमी० है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थीगण की आयु को देखते हुए, अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए तथा संपूर्ण तथ्यों को देखते हुए इतनी लंबी अवधी के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण को कारावास के लिए भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। केवल अर्थदण्ड से ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

**24.** अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा-324 एवं 324 सहपठित 34 भा०द०सं० के तहत छः-छः माह के कठिन कारावास तथा धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा०द०सं० के तहत तीन-तीन माह के कठिन कारावास के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। कल्ली उर्फ राघवेन्द्र के संबंध में धारा-324 भा०द०सं० के तहत एवं शेष अभियुक्तगण नरोत्तमसिंह, सुरेन्द्र सिंह, मेघसिंह, एवं बदन सिंह के संबंध में धारा-324 सहपठित 34 भा०द०सं० के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रत्येक के लिए 500/-रुपए के स्थान पर 1,000-1,000/-रुपए की जाती है। इस प्रकार सभी अपीलार्थी/अभियुक्तगण के लिए धारा- 324 एवं 324 सहपठित 34 भा०द०सं० के तहत कुल अर्थदण्ड की राशि 5,000/-रुपए की जाती है।

**25.** सभी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के लिए धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा०द०सं० अर्थात् जंडेल सिंह की चोटों के लिए 500/-रुपए एवं राजाराम की चोटों के लिए 500/-रुपए अर्थदण्ड की राशि की जाती है। इस प्रकार धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा०द०सं० के तहत प्रत्येक अभियुक्त के लिए अर्थदण्ड की राशि 1,000-1,000/-रुपए की जाती है। इस प्रकार धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा०द०सं० के लिए अर्थदण्ड की कुल राशि 5,000/-रुपए की जाती है। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण के लिए अर्थदण्ड की कुल राशि 10,000/-रुपए होती है।

**26.** अभियुक्तगण में से प्रत्येक की ओर से 1,000-1,000/-रुपए राशि अर्थात् कुल 5,000/-रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है, शेष 5,000/-रुपए की राशि अपीलार्थी/अभियुक्तगण जमा करावें अर्थात् धारा-324 एवं 324 सहपठित 34 भा०द०सं० के तहत शेष 500-500/-रुपए की राशि अर्थात् कुल 2,500/-रुपए जमा करावे। इसी प्रकार धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा०द०सं० के तहत 250+250/-रुपए की राशि अर्थात् कुल 500-500/-रुपए की अर्थदण्ड की राशि प्रत्येक अभियुक्त जमा करावे अर्थात् 2,500/-रुपए की राशि अभियुक्तगण जमा करावे। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण को शेष कुल राशि 5,000/-रुपए जमा करानी है।

**27.** उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर कल्ली उर्फ राघवेन्द्र सिंह को धारा-324 भा०द०सं० तथा शेष अपीलार्थीगण को धारा-324 सहपठित 34 के तहत तीन-तीन माह का तथा सभी



अभियुक्तगण को धारा-323 सहपठित 34 (दो शीर्ष) भा0दं0सं0 के तहत तीन-तीन माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।

- 28.** आहत राजाराम की मृत्यु हो चुकी है। अर्थदण्ड कुल राशि 10,000/-रुपए में से आहत भगवान सिंह और जंडेल सिंह निवासी हनुमन्तपुरा अंतर्गत थाना गोहद को क्रमशः 8,000/-रुपए तथा 2,000/-रुपए की राशि रिवीजन अवधि पश्चात प्रदान की जावे।
- 29.** प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ भी नहीं है।
- 30.** अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)